

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक -शिविरा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2018-19/143

दिनांक 11/7/19

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा(मुख्यालय)
समस्त जिले

विषय-आरटीई के पास ऑर्डर निरस्त करवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि पुनर्भरण राशि के पास ऑर्डर निरस्त करवाने के लिये निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजे जाने वाले पत्र निम्नांकित प्रारूप में भेजें:-

क्र.सं.	पास ऑर्डर क्रमांक	दिनांक	राशि	सत्र	किस्त	निरस्त करवाये जाने का स्पष्ट कारण

इस नव सृजित प्रारूप के साथ बिल त्रुटि की कम्प्युटर स्क्रीन की स्क्रीनशॉट की फोटो प्रति एवं प्रतिपूर्ति भुगतान आदेश आवश्यक रूप से संलग्न करें। उक्त सूचना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज के अभाव में पास ऑर्डर निरस्त किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः भविष्य में पास ऑर्डर निरस्त करवाने हेतु उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।


उप निदेशक (आरटीई)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर